न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जीतेन्द्र सिंह नरुका

सिविल प्रकरण संख्याः– 93/2023 तारीख रजू :– 30.10.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. सुगन लाल गुर्जर पुत्र श्री अर्जुन जाति गुर्जर (मौके पर विक्रेता) निवासी तालड़ा पं. डूंगरी खण्डार सवाईमाधोपुर मैसर्स दाधीच मिष्ठान भण्डार रणधम्भीर किला सवाईमाधोपुर
2. सुरेश गौत्तम पुत्र नन्द लाल गौत्तम (फर्म मालिक) निवासी चमत्कार जी मन्दिर के सामने आलनपुर सवाईमाधोपुर मैसर्स – दाधीच मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर किला सवाईमाधोपुर

........................अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

निर्णय

दिनांक 28/12/2023

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया (आवेदक) ने अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अन्तर्गत दिनांक 24.02.2023 को 4.00 पी एम पर मैसर्स दाधीच मिष्ठान भण्डार रणथम्भौर किला सवाईमाधोपुर पर पहुंचा। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा गया जिस पर उन्होंने फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड एवं फर्म मालिक सुरेश गौत्तम के आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की गई।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु Besan Ke Laddu Made from Besan Bura and Ghee रखे हुए थे। Besan Ke Laddu Made from Besan, Bura and Ghee में मिलावट का अंदेशा होने पर Besan Ke Laddu Made from Besan, Bura and Ghee 02 किलोग्राम वजनी खरीदें उसकी कीमत 320/– रुपये विक्रेता श्री सुगन लाल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

जिस पर विक्रेता सुगन लाल के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान रामलखन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म स. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सुगन लाल ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये गये।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 किलोग्राम **Besan Ke Laddu Made from Besan, Bura and Ghee** को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Besan Ke Laddu Made from Besan, Bura and Ghee** को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर डालकर 40 – 40 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाइट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक H–2636 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं, एच–2636 नियमानुसार चारों नमूना मागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की गई । शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म स. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की गई।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/455–58 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/493/एक्ट/2023/551 दिनांक 03.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Besan Ke Laddu Made from Besan, Bura and Ghee Substandard** होना पाया गया है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/ 1082 दिनांक 27.10.2023 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

यह कि उक्त केस मे अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड, Besan Ke Laddu Made from Besan, Bura and Ghee का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि विकेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने सबस्टैण्डर्ड प्रकृति की **खाद्य वस्तु** Besan Ke Laddu Made from Besan, Bura and Ghee का विकय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अभियुक्तगण ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया की उनको नियमों की जानकारी नहीं थी तथा उनके द्वारा भूल को सुधार लिया गया है तथा उनके द्वारा उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी। प्रस्तुत जबाव के अन्त में अभियुक्तगण ने प्रकरण में न्यूनत्तम शास्ति अधिरोपित करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/493/एक्ट/2023/551 दिनांक 03.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया खाद्य पदार्थ Besan Ke Laddu Made from Besan, Bura and Ghee सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः सबस्टैण्डर्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Besan Ke Laddu Made from Besan, Bura and Ghee का विकय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 पर संयुक्त रूप से 15,000/–रू0 (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26-12-23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जीतेन्द्र सिंह नरुका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर